

कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

क्रमांक : एफ-49/90बी/दक्षिण जोन/2011

दिनांक :

:--आम सूचना--:

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-बी के तहत कार्यालय आदेश SPA/सचिव/2011/1442 दिनांक 21.12.2011 के क्रम में दिनांक 17.6.1999 से पूर्व अस्तित्व में आई कोलोनियों के खसरा सं० 2 व 3 ग्राम सांगरिया के नियमन के सम्बन्ध में मौके पर शिविर 27.12.2011 को नियमन हेतु ग्राम सांगरिया स्थित राजकीय विद्यालय में रखा गया परन्तु उक्त शिविर किसी कारणवश उक्त स्थान के बदले राजकीय प्राथमिक विद्यालय जुडावों की ढाणी, ग्राम, सांगरिया में आयोजन किया जायेगा।


उपायुक्त दक्षिण
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

क्रमांक : एफ-49/90बी/दक्षिण जोन/2011

दिनांक : 26/12/2011

प्रतिलिपि वारंते सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. अध्यक्ष महोदय/आयुक्त महोदय/सचिव महोदय जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।
2. अधीशाषी अभियन्ता (भण्डार) जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।
3. सहायक जनसम्पर्क अधिकारी, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर को प्रेषित कर लेख है कि उपरोक्तानुसार शिविर कार्यक्रम का व्यापक प्रचार प्रसार सुनिश्चित करें।
4. तहसीदार पश्चिम, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
5. ओसवाल डाटा प्रोसेस, कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर को वेबसाईट पर प्रदर्शन हेतु


उपायुक्त दक्षिण
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर